छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक : 282/2003

कैलाश ठाकुर

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(हेतु विचाणरार्थ)

हस्ताक्षर/- **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति **एल.सी. भादू**

हस्ताक्षर/- **एल.सी. भादू**

न्यायाधीश

निर्णय हेतु नियत :दिनाँक 07/01/2008

हस्ताक्षर/- **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक : 282/2003

अपीलार्थी कैलाश ठाकुर,

पिता मंगल सिंह,

उम्र लगभग 26 वर्ष,

व्यवसाय चालक,

निवासी ग्राम खोरपा,

थाना पाटन,

जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य,

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थित:

श्री विवेक शर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री डी.के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता/सहायक लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी राज्य की ओर से।

<u>युगलपीठ</u> :

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण

निर्णय (07.01.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u> द्वारा पारित :

(1) यह अपील दिनांक 13.02.2003 को पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसे सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), दुर्ग ने सत्र प्रकरण क्र. 219/2001 में पारित किया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है एवं ₹1,000/- (एक हज़ार रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अर्थदण्ड व्यतिक्रम करने की स्थिति में अपीलार्थी को अतिरिक्त छः माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2001 को रात्रि लगभग 10 बजे, सत्वंतीन बाई (अ.सा.-2) अपने मकान के सामने उपस्थित थीं। उसी समय उन्हें समीप स्थित स्थान अर्थात् चबूतरे से शोरगुल सुनाई दिया। जब वे वहाँ गईं तो उन्होंने देखा कि अपीलार्थी अपने भांजे संजय यादव (अ.सा.-4) से झगड़ा कर रहा था। उसी दौरान मृतक पुनारद यादव उर्फ बल्ला भी वहाँ आया और अपीलार्थी से कहा कि वह संजय यादव से क्यों झगड़ रहा है। इस पर अपीलार्थी ने संजय यादव को छोड़कर पुनारद यादव को धक्का दिया, उसे कुछ दूरी तक ले गया और उसके वक्ष (सीने) के बाएँ भाग में चाकू का प्रहार

किया तथा घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी सत्वंतीन बाई (अ.सा.-2) रहीं। पुनारद यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

(3) प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-10) वादीनी सत्वंतीन बाई (अ.सा.2) द्वारा उसी रात्रि लगभग 11:30 बजे दर्ज कराई गई। अन्वेषण अधिकारी दिनांक 28.03.2001 को घटना-स्थल हेतु रवाना हुआ तथा पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-1) देकर मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श पी-1 ए) तैयार किया। तत्पश्चात शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन में शव परीक्षण हेतु (प्रदर्श पी-8) के अंतर्गत भेजा गया। अभियुक्त-अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात उसका मेमोरेण्डम कथन (प्रदर्श पी-2) अभिलिखित किया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी से रक्तरंजित कमीज़ (प्रदर्श पी-4) के अंतर्गत जब्त की गई। अपीलार्थी से चाकू एवं फुलपैंट (प्रदर्श पी-2 ए) के अंतर्गत जब्त किए गए। साधारण मिट्टी एवं रक्तरंजित मिट्टी (प्रदर्श पी-3) के अंतर्गत जब्त की गई। नक्शा-मौका (प्रदर्श पी-6) के अंतर्गत तैयार किया गया। मृतक का शव परीक्षण डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा.8) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-8 ए) प्रस्तुत किया। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) दाहिनी ठुड्डी पर 6 से.मी. × ½ से.मी. आकार का खरोंच (abrasion)।

(ii) बायीं ललाट पर 4 से.मी. × ½ से.मी. आकार का खरोंच।

(iii) ललाट (माथे) के मध्य भाग पर 2 से.मी. × ½ से.मी. आकार का खरोंच।

(iv) वक्ष-भाग (छाती) के बाएँ हिस्से पर 1½ इंच लंबाई × ½ इंच चौड़ाई का चाकू से घाव (stab wound), जिसकी गहराई हृदय तक पहुँची हुई थी।

आंतरिक परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने पाया कि हृदय के कक्ष रिक्त थे तथा बाएँ निलय की गुहा में 1 से.मी. × ½ से.मी. आकार का कटा हुआ घाव पाया गया। चिकित्सक ने यह अभिमत दिया कि उक्त

चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं तथा मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न शॉक एवं मृतक द्वारा कारित आंतरिक अंगों की मृत्युपूर्व चोटें थीं। आगे की विवेचना में जब्त वस्तुओं को रायपुर स्थित न्यायालयिक प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-4) प्राप्त हुई। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार सभी जब्त वस्तुएँ ; जिनमें अपराध में प्रयुक्त हथियार, मृतक के वस्त्र तथा रक्तरंजित मिट्टी सम्मिलित थीं , सादी मिट्टी को छोड़कर शेष सभी में रक्त के धब्बे पाए गए। अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात् चाकू को भी परीक्षणार्थ चिकित्सक के पास भेजा गया, उन्होंने परीक्षण में यह पाया गया कि चाकू के लोहे का भाग 3½ इंच लंबा तथा 1.5 से.मी. चौड़ा था। चाकू का लकड़ी का हत्था 4½ इंच लंबा था, जिस पर लोहे का एक छल्ला भी जड़ा हुआ था। चिकित्सक ने यह मत व्यक्त किया कि मृतक की छाती पर पाई गई चोट उक्त चाकू से संभव है। इस संबंध में उन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-9 ए) प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग के समक्ष उपार्पित किया। वहाँ से प्रकरण का हस्तांतरण होकर 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिन्होंने विचारण उपरान्त अभियुक्त-अपीलार्थी को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

(5) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मृतक की मानव वध मृत्यु पर कोई विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, सत्वंतीन बाई (अ.सा.2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतक को अपीलार्थी ने चाकू से मारा, जिससे उसकी वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। उनका कथन संजय कुमार (अ.सा.4) के साक्ष्य से पुष्ट होता है, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे थे और जिन्हें सत्वंतीन बाई ने बताया कि अपीलार्थी ने मृतक को चाकू

मारा है तथा वह घटनास्थल से भाग गया है। इन दोनों साक्षियों के मौखिक कथनों का समर्थन डॉ. एस.के. अग्रवाल (अ.सा.8) के साक्ष्य से होता है, जिन्होंने शव परीक्षण कर (प्रदर्श पी-8 ए) की प्रतिवेदन तैयार की। उन्होंने मृतक के शरीर पर उपर्युक्त चोटों को देखा और यह अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न सदमा एवं मृत्युपूर्व आंतरिक अंगों की चोटें थीं। अतः उपर्युक्त चक्षुदर्शी साक्षी एवं चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

(6) अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सत्वंतीन बाई (अ.सा.2) मृतक की भाभी हैं, अतः वे निकट संबंधी एवं हितबद्ध साक्षी हैं और उसका साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि घटना रात्रि में हुई थी और ऐसी स्थिति में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् सत्वंतीन बाई (अ.सा.2) द्वारा अपराधी की सही पहचान न कर पाने की पूर्ण संभावना है, इसलिए अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि अपीलार्थी ने वर्तमान अपराध के कारित होने में भाग लिया है, तो भी अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग-II से ज़्यादा कर नहीं है, और कम से कम इतना लाभ तो उसे प्रदान किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) जहाँ तक सत्वंतीन बाई (अ.सा.2) के साक्ष्य एवं उस पर आधारित अपराध में अभियुक्त-अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ***स्टेट ऑफ पंजाब एवं गुरमेज़ सिंह बनाम जीत सिंह एवं अन्य*** **(ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 549)** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य का परीक्षण संभावनाओं, पूर्ववर्ती कथनों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। उस मामले में, प्राथमिकी तथा न्यायालय के समक्ष साक्षी के कथन में घटना-स्थल पर जाने के उद्देश्य के

संबंध में विभिन्न संस्करण पाए गए थे और इन संस्करणों में अंतर के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। यहाँ तक कि साक्षियों की घटना-स्थल पर उपस्थिति भी संदिग्ध पाई गई थी और ऐसी स्थिति में साक्षी के कथनों को अविश्वसनीय ठहराया गया।

(8) जहाँ तक रिश्तेदार साक्षियों के प्रश्न का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में लगभग समान सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ***रिज़ान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर*** **(ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 976)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 6 में यह अभिमत व्यक्त किया कि मात्र रिश्तेदार होना किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारण नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि संबंधी व्यक्ति वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। यदि झूठे फँसाए जाने का बचाव प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका ठोस आधार रखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाकर साक्ष्य का परीक्षण करना होता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि साक्ष्य निश्चयात्मक एवं विश्वसनीय है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) ***नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य*** **(2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यु. 1835)** में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि यदि कोई साक्षी मृतक अथवा अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है तो उसे मात्र इस आधार पर 'हितबद्ध (interested)' साक्षी नहीं कहा जा सकता। 'हितबद्ध' शब्द का तात्पर्य यह है कि साक्षी का अभियुक्त को किसी न किसी प्रकार से दोषसिद्ध करवाने में कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हित हो, चाहे वह वैमनस्यवश हो अथवा किसी अन्य अप्रकट उद्देश्य से। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि निकट संबंधी को 'हितबद्ध' साक्षी नहीं माना जा सकता, बल्कि वह एक 'स्वाभाविक' साक्षी होता है। तथापि उसके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसे परीक्षण के उपरांत उसका साक्ष्य आंतरिक

रूप से विश्वसनीय, स्वभावतः संभाव्य एवं पूर्णतया विश्वासप्रद पाई जाती है, तो केवल उसी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। साक्षी का मृतक अथवा पीड़ित से निकट संबंध होना उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का निकट रिश्तेदार सामान्यतः वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने में सर्वाधिक अनिच्छुक होता है। उच्चतम न्यायालय ने ***हरबंस कौर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य*** **(2005 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यु. 2074)** के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह प्रतिवादीत किया गया कि विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि संबंधियों को असत्यवादी साक्षी माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का आरोप लगाया जाता है, तो यह दर्शाना आवश्यक होता है कि रिश्तेदारों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) अतः उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत, सतवंतीन बाई (अ.सा.2) के साक्ष्य को सभी संभावनाओं, उनके पूर्व कथनों तथा उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक परखा जाना आवश्यक है और यदि ऐसी परख के पश्चात उनका साक्ष्य विश्वसनीय एवं पूर्णतया भरोसेमंद पाया जाता है, तो उनके ऐसे कथन पर आधारित होकर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। (अ.सा.2) ने यह कथन किया कि घटना-दिनांक को रात्रि लगभग 10 बजे वह बोरिंग के पास उपस्थित थी,वहाँ जहाँ एक चबूतरा स्थित था। वहाँ दो लाइटें जल रही थीं। उस समय अपीलार्थी एवं मृतक के भतीजे के मध्य झगड़ा चल रहा था। मृतक उन्हें शांत कराने वहाँ पहुँचा। इस पर अपीलार्थी ने कहा– "वह कौन होता है ऐसा करने वाला।" उसने मृतक को कुछ दूरी पर ले जाकर चाकू से वार किया। मृतक "बचाओ-बचाओ" कहकर चिल्लाने लगा। उसने तत्काल मृतक को पकड़ ली, इसी बीच अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गया। उसने देखी कि मृतक के वक्ष के बाएँ भाग पर चोट लगी है। वह चिल्लाने लगी, जिस पर संजय यादव, दिलीप वर्मा तथा तिजाऊ यादव

आदि वहाँ आ गए। उसका पति भी वहाँ पहुँच गया। मृतक की घटनास्थल पर ही तत्काल मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण में उससे यह प्रश्न किया गया कि उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा था कि घटनास्थल पर दो लाइटें जल रही थीं। उसने इसे स्वीकार किया, किन्तु उसने स्पष्ट कहा कि यह कहना गलत है कि घटनास्थल पर अंधेरा था। इस विलोपन के अतिरिक्त इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया। उसने स्पष्ट कहा कि यह कहना गलत है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी और चूँकि मृतक उसका देवर था, इसलिए उसने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य दिया है।

(11) अब प्रश्न यह उठता है कि मात्र इस विलोपन के आधार पर कि उसने अपने पूर्व कथन अथवा प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह नहीं कहा कि वहाँ लाइटें जल रही थीं, क्या उसे पूर्णतः अविश्वसनीय मान लिया जाए ? यदि हम साक्षी द्वारा दी गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन को देखें तो उसमें उसने स्पष्ट रूप से घटित घटना का उल्लेख किया है तथा लगभग वही विवरण उसमें दर्ज है जो उसने न्यायालयीन कथन में बताए हैं, केवल इस अंतर के साथ कि घटना के समय दो लाइटें जल रही थीं, इसका उल्लेख उसने प्रथम सूचा प्रतिवेदन में नहीं किया है। जब स्वाभाविक रूप से कोई साक्षी कह रहा हो कि उसने स्वयं अपनी आँखों से घटना देखी है और वह क्रमवार रूप से घटित घटना का वर्णन कर रहा है, तो सामान्यतः उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं से लाइटों के जलने का उल्लेख करे, क्योंकि जब वह यह दावा कर रहा/रही है कि उसने प्रत्यक्षतः घटना देखा/देखी और घटना रात्रि में घनी बस्ती में हुई, तो यह निहित है कि वहाँ ऐसी स्थिति थी जिससे वह घटना देख सका/सकी, और लाइट आदि का विशेष उल्लेख करना अस्वाभाविक होता। प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि साक्षी ने घटना के संबंध में स्वाभाविक विवरण दिया है, और यदि उसने प्रथम सूचा प्रतिवेदन में घटनास्थल पर लाइटें जल रही थीं, यह विशेषतः नहीं कहा, तो केवल इसी आधार पर उसके कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्विवाद रूप से यह घटना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग्राम की घनी आबादी वाले क्षेत्र में घटी, जहाँ पान की दुकान भी थी, और सभी संभावनाओं के आधार पर इस साक्षी के लिए अपने आप यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि घटनास्थल पर लाइटें जल रही थीं। उसके पूरे साक्ष्य को देखते हुए यह विलोपन घातक नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि संजय कुमार यादव (अ.सा.4) के साक्ष्य से होती है, जिसने कथन किया कि जब अपीलार्थी और उसके बीच झगड़ा हो रहा था, तभी मृतक वहाँ आया और उसे ले जाने लगा। उसने उसे घर की ओर ले जाकर कुछ दूरी पर छोड़ दिया और वहाँ से अलग हो गया। तभी उसने शोर-गुल सुना और तत्काल वह वहाँ पहुँचा, जहाँ उसने देखा कि सतवंतीन बाई (अ.सा.2) मृतक को पकड़ रही थी, जिसे चोटें लगी थीं। उसने सतवंतीन बाई से पूछा कि यह चोटें किसने पहुँचाई? इस पर उसने तुरंत बताया कि अपीलार्थी ने चाकू से मृतक को चोटें पहुँचाई हैं। अतः सतवंतीन बाई(अ.सा.2) और संजय कुमार यादव (अ.सा.4) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि (अ.सा. 2) का साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता और उसे अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अतः अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित है और यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने मृतक को चाकू से चोट पहुँचाई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि अपराध की श्रेणी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग द्वितीय से ज़्यादा का नहीं है, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों पर भरोसा किया है, जो ***राम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 1190; श्रीधर भुइयाँ बनाम उड़ीसा राज्य, जे.टी. 2004 (6) एस.सी. 299*** तथा ***रवि कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2005 क्रि.एल.जे. 1742*** के प्रकरणों में दिये गए थे।

(13) इन सभी प्रकरणों में, धारा 300 की चतुर्थ अपवाद की प्रयोज्यता के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। *राम प्रकाश के प्रकरण (पूर्वोक्त)* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व से मित्रता थी तथा दोनों के बीच कुछ तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। अचानक हुए झगड़े में अभियुक्त ने मृतक को चाकू से एक ही वार किया, परंतु वह क्षति मृतक के शरीर के किसी विशेष अंग पर लक्षित नहीं था। साथ ही, चिकित्सीय साक्ष्य यह नहीं दर्शा रहा था कि क्षति सामान्य परिस्थिति में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। और ऐसे परिस्थितियों में, जब क्षति केवल अचानक हुए झगड़े के कारण हुई, यह अभिप्रेत किया गया कि अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत ही दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) *रवि कुमार के प्रकरण (पूर्वोक्त)* में अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें अभियुक्त ने *ढांगू* उठाया और मृतक के सिर पर दो वार किए।

(15) *श्रीधर भुइयाँ के प्रकरण (पूर्वोक्त)* में भी अचानक झगड़े तथा धारा 300 की चतुर्थ अपवाद की प्रयोज्यता का तर्क अधिनस्थ न्यायालयों ने अस्वीकार कर दिया था और ऐसी स्थिति में, जहाँ अचानक झगड़ा हुआ और एक घातक वार किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिप्रेत किया कि प्रकरणों के तथ्यों और परिस्थितियों में धारा 300 की चतुर्थ अपवाद लागू होगी और दोषसिद्धि को परिवर्तित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत कर दिया गया।

(16) अतः जैसा कि विधायिका द्वारा प्रावधानित किया गया है और उपर्युक्त सिद्धांतों से भी स्पष्ट है कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की चतुर्थ अपवाद की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि

कृत्य बिना पूर्व-चिंतन के, अचानक हुई लड़ाई में, आवेग की स्थिति में, मृतक से अचानक हुए झगड़े पर किया गया हो तथा अपराधी ने अनुचित लाभ न उठाया हो और न ही क्रूर अथवा असामान्य तरीके से आचरण किया हो।

(17) वर्तमान प्रकरण में, सतवंतिन बाई (अ.सा.2) ने अपने कथन के कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के समय मृतक और अपीलार्थी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा या लड़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके बीच पहले कभी झगड़े या लड़ाई का इतिहास नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि अपीलार्थी ने मृतक को उत्तेजना में अथवा अचानक हुई लड़ाई के परिणामस्वरूप छुरा घोंपा हो। बल्कि यह तथ्य सामने आता है कि जब मृतक ने हस्तक्षेप करते हुए अपने भतीजे को, जिससे अपीलार्थी झगड़ा कर रहा था, वहाँ से ले गया, तो अपीलार्थी ने सीधे मृतक पर वार कर दिया। यहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी का आशय अभिलेख पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह आशय प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, उसके प्रयोग के ढंग, प्रहार की तीव्रता तथा शरीर के जिस भाग पर चोट पहुँचाई गई, उससे जाना जा सकता है। अपीलार्थी ने मृतक के वक्षस्थल (chest) पर 8" लंबाई और 1.5 सेमी चौड़ाई वाले लोहे के हिस्से वाले चाकू से वार किया। यह चाकू वक्षगुहा (thoracic cavity) में प्रवेश कर गया और मृतक के हृदय के निलय कक्ष (ventricle chamber) को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा बाएँ निलय (left ventricle) में चीरा लगा दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अपराध धारा 304 भाग-II भारतीय दंड संहिता से अधिक नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) हमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

(19) अपील में कोई वास्तविक बल नहीं है। अतः यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है तथा तद्नुसार खारीज की जाती है।

हस्ताक्षर /-

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

हस्ताक्षर /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv Neeta Verma